भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1376
03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: कृषक परिवारों की आय और ऋण

1376. एडवोकेट अद्वूर प्रकाश:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत कृषक परिवारों की कृषि से होने वाली आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) कृषक परिवारों के लिए खेती से होने वाली आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों में कृषक परिवारों का उनकी मासिक सकल आय पर औसत ऋण भार कितना है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषक परिवारों को वितरित संस्थागत ऋण की कुल राशि कितनी है; और
(ड.) और भी अधिक किसानों की किफायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77 वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषक परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आयोजित किया। एसएएस के परिणाम के अनुसार, 2018-19 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषक परिवार की राज्यवार औसत मासिक आय अनुबंध-I में दी गई है और इसी अवधि के दौरान *प्रति कृषक परिवार पर बकाया ऋण की* राज्यवार *औसत राशि अनुबंध-II में दी गई है।*

तथापि, सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नीतियाँ, सुधार, विकास कार्यक्रम और योजनाएँ अपनाई और कार्यान्वित की हैं। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए अभूतपूर्व रूप से बजट बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं :

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार प्लेटफॉर्म की स्थापना
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम का शुभारंभ
14. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
15. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत
16. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
17. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण
18. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि
19. केंद्रीय क्षेत्र योजना नमो ड्रोन दीदी

(घ): सरकार पूरे भारत में केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों को दिया गया कुल कृषि ऋण लाख करोड़ रुपये में इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	फसल ऋण (लाख करोड़ रुपए में)	सावधि ऋण (लाख करोड़ रुपए में)	कुल (लाख करोड़ रुपए में)
2019-20	8.25	5.68	13.93
2020-21	8.94	6.82	15.76
2021-22	11.00	7.64	18.64
2022-23	13.19	8.36	21.55
2023-24	15.07	10.40	25.47

स्रोत: नाबार्ड

(ङ): प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) विनियमन के अनुसार, सरकार ने बैंकों को अपने कुल ऋण का 18% कृषि और संबद्ध क्षेत्र को प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया है। वर्ष 2016 से छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक उप-सीमा तय की गई है जो वर्तमान में 10% है (अर्थात कुल कृषि ऋण का 56% छोटे और सीमांत किसानों को जाना चाहिए)। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और बैंकों के सहयोग से केसीसी के प्रचार और संतृप्ति के लिए नियमित रूप से अभियान और शिविर आयोजित करता है।

अनुबंध- I

कृषक परिवार की आय और ऋण के संबंध में 03/12/2024 को उत्तरार्थ लो.स.अता.प्र.1376 के भाग (क) के उत्तर का विवरण

क्र.सं.	राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति	कुल आय *
1.	आंध्र प्रदेश	2,734	10,480
2.	अरुणाचल प्रदेश	5,818	19,225
3.	असम	3,262	10,675
4.	बिहार	2,739	7,542
5.	छत्तीसगढ	4,336	9,677
6.	गुजरात	4,318	12,631
7.	हरियाणा	9,092	22,841
8.	हिमाचल प्रदेश	2,552	12,153
9.	जम्मू और कश्मीर	1,980	18,918
10.	झारखंड	1,102	4,895
11.	कर्नाटक	6,835	13,441
12.	केरल	3,638	17,915
13.	मध्य प्रदेश	4,309	8,339
14.	महाराष्ट्र	4,747	11,492
15.	मणिपुर	3,221	11,227
16.	मेघालय	21,060	29,348
17.	मिजोरम	8,694	17,964
18.	नागालैंड	2,010	9,877
19.	ओडिशा	1,569	5,112
20.	पंजाब	12,597	26,701
21.	राजस्थान	3,731	12,520
22.	सिक्किम	4,065	12,447
23.	तमिलनाडु	2,641	11,924
24.	तेलंगाना	4,937	9,403
25.	त्रिपुरा	2,912	9,918
26.	उत्तराखंड	5,277	13,552
27.	उत्तर प्रदेश	3,290	8,061
28.	पश्चिम बंगाल	1,547	6,762
	पूर्वोत्तर का समूह राज्य अमेरिका	8,328	16,863
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	2,494	18,511
	अखिल भारत	3,798	10,218

* कुल आय में (i) मजदूरी से आय, (ii) भूमि को पट्टे पर देने से आय, (iii) फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्ति, (iv) पशुपालन से शुद्ध प्राप्ति, और (v) गैर-कृषि व्यवसाय से शुद्ध प्राप्ति शामिल है।

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और पशुधन जोत की स्थिति का आकलन, 2019

अनुबंध- II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रु.) तथा ऋणी कृषि परिवारों का प्रतिशत			
क्र. सं.	पूर्वोत्तर राज्य/समूह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समूह	औसत राशि (रु.) बकाया ऋण का प्रति कृषि परिवार	प्रतिशत ऋणग्रस्त कृषि परिवार
1	आंध्र प्रदेश	2,45,554	93.2
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581	12.5
3	असम	16,407	31.0
4	बिहार	23,534	39.7
5	छत्तीसगढ	21,443	31.2
6	गुजरात	56,568	42.5
7	हरियाणा	1,82,922	47.5
8	हिमाचल प्रदेश	85,825	29.2
9	जम्मू और कश्मीर	30,435	31.9
10	झारखंड	8,415	25.3
11	कर्नाटक	1,26,240	67.6
12	केरल	2,42,482	69.9
१३	मध्य प्रदेश	74,420	48.4
14	महाराष्ट्र	82,085	54.0
15	मणिपुर	5,551	20.6
16	मेघालय	2,237	9.1
17	मिजोरम	23,485	8.0
18	नागालैंड	1,750	6.0
19	ओडिशा	32,721	61.2
20	पंजाब	2,03,249	54.4
21	राजस्थान	1,13,865	60.3
22	सिक्किम	32,185	10.6
23	तमिलनाडु	1,06,553	65.1
24	तेलंगाना	1,52,113	91.7
25	त्रिपुरा	23,944	47.7
26	उत्तराखंड	48,338	46.6
27	उत्तर प्रदेश	51,107	41.9
28	पश्चिम बंगाल	26,452	50.8
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	10,034	19.2
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	25,629	27.5
	अखिल भारतीय	74,121	50.2

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और पशुधन जोत की स्थिति का आकलन, 2019

***